पत्रांक–**7276**/Tech./2025

अग्निशमन सेवा मुख्यालय, झारखण्ड, राँची।

दिनांक–12.10.2025

सेवा में,

Arvind Kumar Singh,
SAROJ NAGAR, MISSION ROAD,CHANDWA, LATEHAR.

विषयः– **Greenfield Academy School लातेहार G+1 स्कूल भवन हेतु अग्नि–सुरक्षात्मक अनापत्ति प्रमाण–पत्र का नवीकरण।**

आपके द्वारा आनलाईन समर्पित प्रस्ताव के आलोक में निर्मित स्कूल भवन के अग्नि–सुरक्षात्मक उपायों की भौतिक जाँच प्रभारी अग्निशामालय पदाधिकारी, लातेहार से कराई गई। उनके ज्ञापांक–298 दिनांक–11.10.2025 के द्वारा समपर्पित जाँच प्रतिवेदन एवं की गई अनुशंसा के आलोक में निम्न शर्त्तों के अधीन अनापत्ति प्रमाण–पत्र का नवीकरण निर्गत किया जाता है कि :–

1. Set–Back Area को हर समय किसी भी प्रकार के अवरोध से पूरी तरह मुक्त रखा जायेगा।
2. स्कूल भवन तक जानेवाली पहुँच पथ को किसी प्रकार से कभी भी बाधित नहीं रखा जायेगा।
3. निर्धारित अन्तराल पर सभी उपकरणों का संधारण सुनिश्चित किया जाय। संधारण के अभाव में ये उपकरण बेकार भी हो सकते हैं।
4. किसी भी Fire Extinguisher को प्रयोग में लाने के बाद उसे तुरन्त रिफिलिंग करा लिया जायेगा।
5. अपातकाल की अवस्था के लिए Escape Routes के साथ–साथ Evacuation Drill के तरीकों की जानकारी का Display समुचित स्थानों पर किया जायेगा तथा हर समय उसे संधारित रखा जायेगा।
6. इस बात का खास ध्यान रखा जायेगा कि कार्य के दौरान किसी भी प्रवेश अथवा निकास द्वार में न तो ताला लगाया जायेगा न हीं बाहर से बोल्ट किया जायेगा।
7. स्कूल भवन में काम करने वाले सभी कर्मियों को अग्निशमन उपकरणों के उपयोग एवं जाँच के तरीको की जानकारी का रहना आवश्यक है।
8. Fire and Evacuation Drill का आयोजन वर्ष में कम से कम दो बार अवश्य किया जाय, जिसमें स्कूल भवन में काम करने वाले सभी कर्मियों को निश्चित रूप से शामिल किया जाय। इस ड्रील में वर्ष में कम से कम एक बार स्थानीय अग्निशमन सेवा को भी शामिल किया जाय।
9. Fire Practices and Evacuation Drill का विस्तृत लेखा एक पंजी में संधारित रखा जाय।
10. First Aid Fire Fighting Arrangements को IS Specifications के अनुसार हर समय अच्छी तरह संधारित एवं तैयारी की हालत में रखा जाय।
11. किसी भी प्रकार की असावधानी अथवा लापरवाही से यदि आगजनी की घटना घटित होती है, तो इसके लिए प्रबंधन स्वयं जवाबदेह होंगे।
12. किसी भी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर बीच में भी अनुज्ञप्ति रद्द करने की अनुशंसा की जा सकती है, जिससे होनेवाली किसी भी प्रकार की असुविधा हेतु संबंधित प्रबंधन स्वयं जवाबदेह होंगे।
13. आकस्मिक सेवाओं के टेलीफोन नम्बर का जो डिस्प्ले किया गया है, उसे निर्धारित रखा जायेगा।
14. संबंधित स्कूल भवन में कभी भी किसी भी प्रकार का विवादित मामला होने पर संबंधित स्कूल को दिये गये अनापत्ति प्रमाण–पत्र का नवीकरण को जाँचोपरान्त कभी भी रद्द किया जा सकता है।
15. यह अनापत्ति प्रमाणपत्र का नवीकरण दिनांक–30.09.2026 तक के लिये मान्य है।

JITENDRA TIWARY

(जितेन्द्र तिवारी)
प्रभारी अपर राज्य अग्निशमन पदाधिकारी,
झारखण्ड, राँची।